

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 3810 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2025 रायपुर,

दिनांक 25-04-2025

// फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट (FMG) इंटर्नशिप काउंसिलिंग 2025 हेतु आवश्यक सूचना //

छत्तीसगढ़ राज्य में एफ.एम.जी. इंटर्नशिप काउंसिलिंग 2025 में सम्मिलित उन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है जिन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा एफ.एम.जी. प्रमाण पत्र अब तक जारी नहीं किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी, एन.एम.सी. द्वारा एफ.एम.जी. प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर, छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल (CGMSC) में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा आवेदन की पावती अपनी आवंटित संस्था में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

ऐसे सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के पश्चात् अपनी संस्था में एफ.एम.जी. प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

नोट:- यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए वैध होगी जिन्हें एन.एम.सी. द्वारा अभी तक एफ.एम.जी. प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।

(संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)



अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.